यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने पर निर्णय

■ 13 एवं 14 मार्च को होली/धुलण्डी का मंडी अवकाश रहेगा

रामगंजमण्डी, (निसं)। शहर की कृषि उपजमंडी समिति सभागार में 11 मार्च मंगलवार को पीक सीजन व कृषि जिन्सों की आवक को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी एवं प्रशासक कृषि उपज मण्डी समिति नीता वसीटा की अध्यक्षता में एक मिटिंग रखी गयी।

जिसमें सचिव कृउमस जवाहरलाल नागर मय प्रतिनिधि एवं थानाधिकारी मनोज सिकरवार व अध्यक्ष ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्ट एसोसिएशन मुकेश धाकड़ सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उक्त मिटिंग में यातायात व्यवस्था सूचारू रखने हेतु कृषि जिन्सों के वाहनों को शहर के नारायण टॉकीज चौराहे से ओवरब्रिज पर होते हुए खैराबाद मेला ग्राउण्ड, उण्डवा तिराहे से बाईपास होते हुए खैराबाद मैला ग्राउण्ड में वाहन खड़े करने का निर्णय लिया गया। जिससे शहर के अंदर आवागमन व्यवस्थित रह सके, का निर्णय लिया गया। वाहनों को प्रतिदिन रात्रि 12 बजे पुलिस विभाग द्वारा जारी टोकन के आधार पर कृषि उपजमंडी समिति प्रांगण में प्रवेश दिया जावेगा। मारवाड़ चौराहे पर नगरपालिका की रिक्त भूमि को समतल करवाकर वहां पर विद्युत पानी आदि की व्यवस्था करने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी द्वारा सचिव कृषि उपज मंडी रामगंजमंडी एवं ईओ नगरपालिका रामगंजमंडी को दिये गये। समुचित व्यवस्थाएं विकसित होने पर यहां पर कृषि जिंसों के वाहनों को खड़ा करवाया जायेगा। वहीं 13 मार्च गुरुवार एवं 14 मार्च शुक्रवार को होली/धुलण्डी का अवकाश रहेगा। जिसके चलते कृषकों से अनुरोध किया गया है कि इस अवधि में अपनी कृषि जिंस विक्रय हेतु मंडी में नहीं लावें।

राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह समापन समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिये

रामगंजमण्डी,(निसं)। मंगलम सीमेंट में 54वां राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह 2025 का आयोजन 4 से 10 मार्च तक किया गया।

यह सप्ताह संरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए अति-आवश्यक की थीम पर मनाया गया। सोमवार को राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह 2025 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि मंगलम सीमेंट के प्रेसिडेंट ऑपरेशन्स सुनील सचान ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी।

उन्होंने संरक्षा और सुरक्षित कार्य व्यवहार का महत्व बताया। इस वर्ष की थीम के बारे में चर्चा करते हुई औद्योगिक संरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य का विकसित भारत के लिए मंगलम सीमेंट की भागीदारी सुनिश्चत करते हुए आवश्यक भूमिका की जानकारी दी। समापन समरोह के विशिष्ट अतिथि मंगलम सीमेंट के सीनियर जॉइंट प्रेसिडेंट कमर्शियल

मंगलम सीमेन्ट द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान किया गया।

अनिल मंडोत ने भी अपने दैनिक जीवन में संरक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। सुरक्षा कमेटी के चेयरमैन सुनील सनाढय ने संरक्षा और सुरक्षा संस्कृति को अपनाकर एक सुरक्षित कार्य करने के महत्व के बार में सभी को जानकारी दी। समापन समारोह के अवसर पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया।मंच का संचालन करते हुए संस्थान के संरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह 2025 में संस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे बताया।

कर्मचारियों के लिए प्रशनोत्तरी पोस्टर नारा एवं स्पीच कॉम्पिटिशन आदि के बार में जानकारी दी। संस्थान के कॉलोनी परिसर में महिलाओं और मंगलम विद्या विहार विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए गृह और सड़क संरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अथिति ने पुरस्कार दिए। कार्मिक विभाग के विभागाध्यक्ष आरपी सिंह ने सभी का आभार जताते हुए विजेताओं को बधाई दी और सभी को संरक्षा और स्वास्थय के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर संस्थान के सभी विभागों और अनुभागों के विभागाध्यक्ष कर्मचारीगण यूनियन के पदाधिकारी श्रमिकगण महिलाएं व मगलम विद्या विहार विधालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन

कोटा, (निसं)। ओम कोठारी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत संस्थान की एनएसएस इकाई, रेड रिबन क्लब एवं आईआईसी के तत्वाधान में विचार गोष्ठी एवं विभिन्न राजकीय विद्यालयों की प्राचार्य एवं शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज कोटा की प्राचार्या डॉ.संगीता सक्सेना रहीं।

कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एडवोकेट कल्पना शर्मा एवं आईएसटीडी की भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता चौहान रहीं। कार्यक्रम के दौरान संस्थान निदेशक डॉ.अमित सिंह राठौड़, प्राचार्या डॉ.गीता गुप्ता, डॉ.स्नेहलता धर्मावत, मोहित पंत, डॉ. मीनल जैन, संचालक व्याख्याता प्रतीक गुप्ता, कन्वीनर डॉ.तरुणा भारद्वाज, विभिन्न राजकीय विद्यालयों से आयी हुई प्राचार्य एवं शिक्षिकाएं, व्याख्याता गण एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजकीय विद्यालयों से पधारी शिक्षिकाओं को समाज निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान हेतु सम्मानित किया।

'आज के रोजगार बाजार में कौशल विकास का महत्व' पर कार्यशाला

■ 92 छात्राओं ने कार्यशाला में पंजीकरण करवाया

कोटा, (निसं)। राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के कैम्पस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सेल के तत्वावधान में अंबूजा फाउंडेशन के चंबल फर्टिलाइजर स्किल इंस्टीट्यूटके सहयोग से 'आज के रोजगार बाजार में कौशल विकास का महत्व' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के प्रारंभ में प्लेसमेंट सेल प्रभारी डॉ.ज्योति सिडाना ने बताया कि सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज के दौर में बिना कौशल प्राप्त किए कोई भी जॉब प्राप्त करना आसान नहीं है।

अंबूजा फाउंडेशन के शुभम शर्मा ने प्रारंभ में गढ़ेपान में संचालित चम्बल फर्टिलाइजर स्किल इंस्टीट्यूट में संचालित होने वाले विभिन्न कोर्स की जानकारी दी जैसे बाल विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बैंकिंग क्षेत्र, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, रिलेशनशिप मैनेजर इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षक मनोज यादव ने बताया कि अंबूजा फाउंडेशन द्वारा पूरे भारत में लगभग 43 तथा राजस्थान में 13 कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे है, उन्होंने विडियो क्लिपिंग के माध्यम से सभी कोर्स की संक्षिप्त जानकारी दी और बताया कि जल्दी ही संभवत: मई माह में कोटा में भी वह एक केन्द्र खोलने की योजना बना रहे है, जिसमें डेटा सांइस, माइक्रो फाइनेंस एवं ऑफिस एसोसिएट् के कोर्स संचालित किए जायेंगे।

फाउंडेशन से प्रशिक्षण ले रही तीन छात्राएं लक्ष्मी, पायल और सुमन ने अपने अनुभवों को साझा किया जिन्हें कोर्स पूरा होने के बाद प्लेसमेंट भी प्राप्त हो गया है। कार्यशाला के दूसरे सत्र में फाउंडेशन की प्रशिक्षक वसुधा लोहिया ने बताया कि उनके इंस्टीट्यूट में व्यक्तित्व विकास और सॉफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण सभी ट्रेनीज़ के लिए अनिवार्य होता है चाहे वह किसी भी कोर्स में प्रवेश ले।

इसके माध्यम से उन्हें कम्प्यूटर का प्रांरभिक ज्ञान हो जाता है जो आज के समय में हर जॉब में आवश्यक है। फाउंडेशन के फील्ड आर्ब्जवर गणेश सिंह ने अपने क्षेत्र के अनुभवों को साझा किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो.सीमा चौहान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी छात्राओं को इस तरह के कोर्स नि:शुल्क करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

आज के समय में केवल अकादमिक डिग्री के आधार पर एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है इसके लिए आवश्यक है कि हम किसी ना किसी कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करें। कार्यशाला में डॉ.धर्मसिंह मीणा, डॉ.पारूल सिंह, प्रो.सोमवती शर्मा, प्रो.बबिता सिंघल उपस्थित रहे तथा 92 छात्राओं ने कार्यशाला में पंजीकरण करवाया। अंत में प्लेसमेंट सेल के सदस्य डॉ. गिरेन्द्र पाल सिंह ने अतिथियों एवं छात्राओं का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

छप्पन भोग में होली संगीत संध्या कल

कोटा, (निसं)। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर पाटनपोल की ओर से गुरुवार को शाम 7.30 बजे छप्पन भोग परिसर प्रथमेश नगर में होली संगीत संध्या आयोजित की जाएगी। ट्रस्ट के मंत्री मोनू व्यास तथा प्रबंधक चेतन सेठ ने बताया कि कार्यक्रम में प्रथम पीठ युवराज गोस्वामी मिलन कुमार बावा, प्रथम पीठ युवरात्मज लालन कृष्णास्य बावा उपस्थित होंगे। साथ ही, अतिथि के रुप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वेव्ज ऑफ हरिनाम बैंड की ओर से होली कीर्तन गान किया जाएगा।

अधिवक्ता महापंचायत आज

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में प्रस्तावित दो न्यायालय एडीजे व एसीजेएम के नये भवन वर्तमान परिसर में ही बनवाने की मांग को लेकर वकीलों ने बुधवार को महापंचायत बुलाई है। संघर्ष समिति के संयोजक मारूफ अली एडवोकेट सहसंयोजक रोहित पाटीदार व कृष्ण गोपाल अहीर एडवोकेट ने बताया कि रामगंजमंडी में दो न्यायालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए वर्तमान परिसर में खाली पड़ी भूमि की पैमाइश हो चुकी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमोदित है। वहीं जिला कलक्टर कोटा द्वारा भूमि का कब्जा संभलाने के आदेश भी हो चुके हैं। किन्तु उपखण्ड अधिकारी नीता वसीटा द्वारा उक्त भूमि न्यायालय भवन निर्माण के लिए देने में आनाकानी की जा रही है तथा आठ किमी दूर निमाणा में भूमि आवंटित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आवागमन का कोई साधन नहीं है व दो स्थानों पर न्यायालय संचालित होना व्यावहारिक भी नहीं है। जिसके कारण अभिभाषक परिषद द्वारा 24 फरवरी 2025 से ही उपखण्ड अधिकारी का बहिष्कार किया जा रहा है।

आन्दोलन को व्यापक करने के लिए परिषद ने बुधवार को महापंचायत बुलाई है। जिसमें हाड़ौती की कोटा बुंदी बारां व झालावाड़ सहित सभी अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष सचिव व अन्य कई वरिष्ठ अधिवक्ता भाग लेंगे तथा महापंचायत को संबोधित करेंगे।

अवैध बजरी परिवहन करते चालक गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बसोली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध खनिज बजरी रेत से भरे एक ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम करने एवं अवैध बजरी रेत का परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं। बूंदी एसपी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बून्दी उमा शर्मा के निर्देशन मे पुलिस उपअधीक्षक अजीत मेघवंशी के सुपरविजन में थानाधिकारी नरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने अवैध बजरी की रोकधाम हेतु एनएच 148-डी मराडी तिराहा पर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग की। बूंदी एसपी ने बताया कि नाकाबन्दी में चैंकिग के दौरान टीम ने कार्यवाही करते हुए बजरी से भरा हुआ ट्रेलर को जब्त किया।

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिको/को.उ./राजस्व/2025/304-5 दिनांक:-11.3.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचित किया जाता है कि श्री नकुल पुत्र श्री स्व. जगदीश प्रसाद निवासी मकान नं. 1410 हनुमान गड़ी रोड बालापुरा कुन्हाड़ी कोटा द्वारा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार सुवालका रेस्टोरेन्ट प्लाट नं. 51-52 के. पाटन रोड, नयाखेड़ा कोटा की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिको/को.उ./राजस्व/2025/306-7 दिनांक:-11.3.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचित किया जाता है कि श्री नवीन कुमार द्विवेदी पुत्र श्री बिहारी लाल द्विवेदी निवासी फूल कंवर मैरिज गार्डन के पास ज. द्वारा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार जूबिलेन्ट फूडवर्क लि. (डोमिनोज फिज्जा) वार्ड नं. 26 रेल्वे स्टेशन रोड फूल कंवर मैरिज गार्डन के पास कोटा की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/18734 दिनांक: 11.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नगेन्द्र कुंवर पत्नी श्री चन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री भंवर सिंह आसावत निवासी मकान नम्बर डी-12 बरवाडा हाउस, आर.एच.बी. कालोनी वल्लभबाडी गुमानपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 100-सी तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 100-सी तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट का स्वामित्व कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 957 दिनांक 12.06.1987 से श्री भंवर सिंह आसावत पुत्र श्री धूल सिंह आसावत के नाम हस्तांतरित किया गया। श्री भंवर सिंह आसावत ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 03.09.1990 से उक्त भूखंड की वसीयत श्रीमती नगेन्द्र कुंवर पत्नी श्री चन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री भंवर सिंह आसावत के नाम कर दी। श्री भंवर सिंह का देहावसान दिनांक 24.02.2011 को हो जाने के उपरांत आवेदिका श्रीमती नगेन्द्र कुंवर पत्नी श्री चन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री भंवर सिंह आसावत द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4738 जाहिर आम सूचना दिनांक - 11.3.25

आवास संख्या 3-डी-55 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सियाराम चौहान पुत्र श्री कुन्जी सिंह को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री केसर सिंह के नाम दिनांक 29.05.1998 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री केसर सिंह द्वारा दिनांक 22.12.1998 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री केसर सिंह की मृत्यु दिनांक 09.05.2015 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री अंशुमान सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री रघुराज सिंह जादौन द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 04.06.2020 को श्रीमती नगेन्द्र बाला जादौन पत्नी स्व. श्री रघुराज सिंह जादौन के पक्ष में किया गया। श्रीमती नगेन्द्र बाला जादौन पत्नी स्व. श्री रघुराज सिंह जादौन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-डी-55 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती नगेन्द्र बाला जादौन पत्नी स्व. श्री रघुराज सिंह जादौन के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती नगेन्द्र बाला जादौन पत्नी स्व. श्री रघुराज सिंह जादौन के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती नगेन्द्र बाला जादौन पत्नी स्व. श्री रघुराज सिंह जादौन के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4561 जाहिर आम सूचना दिनांक - 20.2.25

आवास संख्या 3-ई-32 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती कंचन लता शुक्ला पत्नी श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती कंचन लता शुक्ला पत्नी श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला के नाम दिनांक 16.10.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती कंचन लता शुक्ला पत्नी श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला की मृत्यु दिनांक 27.02.2023 को एवं उनके पति श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला की मृत्यु दिनांक 10.10.1997 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती अंजना शर्मा पत्नी श्री दीनदयाल शर्मा पुत्री स्व. श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला एवं शालिनी शुक्ला पुत्री स्व. श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 21.02.2024 को श्री संजय शुक्ला पुत्र स्व. श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला के पक्ष में किया गया। श्री संजय शुक्ला पुत्र स्व. श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-ई-32 दादाबाड़ी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री संजय शुक्ला पुत्र स्व. श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री संजय शुक्ला पुत्र स्व. श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री संजय शुक्ला पुत्र स्व. श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द./उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/18372-73 दिनांक: 4.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मंगलेश बाई पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मीना एवं गिरिराज मीणा व श्री खेमराज मीणा पुत्रान् जगदीश प्रसाद मीणा निवासी आवास संख्या लवकुश निवास नीमड़ी पाड़ा तह. अन्ता जिला बारां द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 8-ए-11 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 159.75 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के पक्ष में हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। आवास संख्या 8-ए-11 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 159.75 वर्गमीटर का आवंटन कार्यालय राजस्थान आवासन बोर्ड खण्ड तृतीय कोटा द्वारा पत्र क्रमांक/आर.ई./के.टी/द्वितीय/353 दिनांक 28.06.81 से श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री बद्रीलाल जी मीणा कोटा का आवंटित किया गया है। श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री बद्रीलाल जी मीणा की मृत्यु दिनांक 23.05.2022 को हो जाने के उपरांत उनके जीवित विधिक वारिसान 1. श्रीमती अंतिमा मीना पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद मीणा 2. श्रीमती मधुबाला पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद मीणा 3. श्रीमती शशी मीना पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद मीणा 4. श्रीमती लक्ष्मी मीना पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद द्वारा पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 09.01.2023 व दिनांक 07.02.2023 को उक्त भूखंड में निहित अपना-अपना हक आवेदकों श्रीमती मंगलेश बाई पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मीना एवं गिरिराज मीणा व श्री खेमराज मीणा पुत्रान् जगदीश प्रसाद मीणा के पक्ष में त्याग दिया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में मकान संख्या 8-ए-11 महावीर नगर तृतीय कोटा आवासीय का जिसका क्षेत्रफल 159.75 वर्गमीटर के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

नाम परिवर्तन

मेरा नाम 10वीं की मार्कशीट में Davendra Kumar व पिता का नाम Chaan Singh लिखा है जबकि मेरा सही नाम Devendra Kumar व पिता का सही नाम Chhan Singh Yadav निवासी एमआईजी 346, विवेकानंदनगर कोटा है भविष्य में मुझे Devendra Kumar S/o Chhan Singh Yadav नाम से जाना पहचाना जाए।

आम सूचना

मेरे पक्षकार सुन्दरम होम फाईनेन्स प्रा.लि. की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विशाल पोरवाल आत्मज श्री सूरज प्रकाश पोरवाल द्वारा मकान नम्बर 30/539 कोलीपाड़ा नागर भोजनालय के पास गोवर्धनपुरा कोटड़ी कोटा (राज.) को खरीदने का इकरार अरुण गुप्ता, अरविन्द गुप्ता, अजय गुप्ता से किया है जिसे खरीदने के लिए विशाल पोरवाल द्वारा मेरे पक्षकार के यहां से ऋण लिया जा रहा है। उक्त मकान श्री मांगीलाल के स्वामित्व का था जिनके द्वारा उनके जीवनकाल में कोई वसीयत आलेखित नहीं की गयी। श्री मांगीलाल के स्वर्गवास के पश्चात एवं उनकी पत्नी के भी पूर्व में ही स्वर्गवास हो जाने के कारण अरुण गुप्ता, अरविन्द गुप्ता, अजय गुप्ता एवं अभिलाषा गुप्ता उक्त मकान के संयुक्त स्वामी हुए। अभिलाषा गुप्ता द्वारा उक्त मकान में निहित अपने हिस्से के हक का त्याग अरुण गुप्ता, अरविन्द गुप्ता, अजय गुप्ता के पक्ष में करते हुए हक त्याग पत्र का विधिवत पंजीयन करवा दिया है। उक्त इकरार बेचान बाबत किसी भी व्यक्ति, बैंक या संस्था या अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अंदर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

दिनांक : 10.03.2025

भवदीय
राजेन्द्र सिंह एडवोकेट
386 माला रोड कोटा जं.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रेमलता गुप्ता पत्नी कल्याण सहाय गुप्ता की खरीदशुदा सम्पत्ति एमपीबी 103 महावीर नगर कोटा में स्थित है। श्रीमती प्रेमलता गुप्ता के द्वारा एचडीएफसी लि. से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजात एचडीएफसी बैंक लि. में रहन कर रखे है। श्रीमती प्रेमलता गुप्ता का दिनांक 12.11.19 को देहान्त हो चुका है, श्रीमती प्रेमलता गुप्ता के पुत्र अनिल कुमार गुप्ता ने जाहिर किया है कि उनके अतिरिक्त स्व. श्रीमती प्रेमलता गुप्ता के अजय गुप्ता, अलका गुप्ता, भावना खण्डेलवाल, नीलम गुप्ता, सुशीला गुप्ता, अंकित गुप्ता, रश्मी गुप्ता, अर्पित गुप्ता ही विधिक वारिसान है, इनके अतिरिक्त ओर अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। उक्त सम्पत्ति के पेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक लि. को की जा चुकी है, स्व. श्रीमती प्रेमलता गुप्ता के पुत्र अनिल कुमार गुप्ता उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहते है। यदि इस संबंध में किसी भी दीगर व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता या एचडीएफसी बैंक लि. शाखा विज्ञान नगर कोटा के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई भी आपत्ति मान्य एवं प्रभावी नहीं होगी।

दिनांक : 11.03.2025

(संदीप जैन) एडवोकेट
583-ए तलवण्डी कोटा
मो. नं. 9829180432

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक **30 दिसम्बर 2024** को संदर्भ संख्या **CB/SAR/13-2/AGR/DEC-2024/11 ऋण खाता संख्या: 2306225155419990** निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता **मैसर्स माधवी ऑइल इण्डस्ट्रिज एलएलपी जरिए पार्टनर्स श्री कृष्ण कुमार मित्तल व श्री अरविंद कुमार मित्तल (ऋणी/बंधककर्ता), श्री कृष्ण कुमार मित्तल पुत्र श्री अरुण कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्री अरविंद कुमार मित्तल पुत्र श्री अरुण कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्रीमती अल्का मित्तल पत्नी श्री अरविंद कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्रीमती संजना मित्तल पत्नी श्री कृष्ण कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्री अरुण कुमार मित्तल पुत्र श्री नारायण प्रसाद मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता)** के लिए **ऋण खाता संख्या 2306225155419990 रूपये 10,31,29,516/- (रूपये दस करोड़ इकत्तीस लाख